न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2020 दायरा दिनांक 30.06.2020

GCMS CASE NO- 2020/00026

पवन कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति ब्राहमण निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(अपीलांट)

बनाम

1. मदननाथ पुत्र लाधुनाथ जाति नाथ साकिन रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

(रेस्पोडेंटगण)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लेखराज देरासरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. पैरोकार राज रेस्पोडेंट संख्या 2

:: निर्णय :: दिनांकः– 24.01.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा जरिये अपील पेश कर निवेदन किया है कि रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 में 12.00 बीघा व 8.00 बीघा कुल 20.00 बीघा रकबा अपीलांट के नाम से टीसी आवंटन से पुख्ता होकर दो अलग–अलग आदेशों से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 में अपीलांट के 20.00 बीघा रकबा के अलावा अन्य 11 आवंटियों के नाम अलग–अलग रकबा खातेदारी व गैरखातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रेस्पोडेंट संख्या 1 को छोडकर अन्य सभी आवंटियों का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट सख्या 1 का खसरा न. 91/6 कि बजाय इस खसरा से चिपता खसरा न. 25 पर कब्जा है। अपीलांट का रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 में आवंटित कुल 20.00 बीघा रकबा पर अपीलाण्ट का रोही रघुनाथपुरा के खसारा न. 91/6 में आवंटित कुल 20 बीघा रकबा पर लगातार टी सी आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट के 20 बीघा रकबा टी सी आवंटन आदेश दो अलग अलग आदेश थे जिनका पुख्ता आवंटन के समय इस खसरा में से केवल 12 बीघा रकबा ही उक्त आवंटन किया था शेष खसरा न. 96/3 का 25 बीघा रकबा सहित कुल 37 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन किया था 8 बीघा रकबा के लिए कोई आदेश आवंटन अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 10.08.1989 को जारी नही किये थे। जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगगानगर के समक्ष एक अपील न. 105/11 पवन कुमार बनाम राजस्थान सरकार पेश कि जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 29.12.2011 को स्वीकार करते हुए खसरा न. 91/6 में 8 बीघा रकबा के बावत अपीलांट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। इसी दौरान यह रकबा डी कॉलोनी हो जाने से उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 21.06.2013 कि पालना में पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ को भेज दी व तहसीलदार सूरतगढ ने इस 8 बीघा के रकबा के बावत पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से कई बार रिपोर्ट लेकर मौका पर कब्जा काश्त कि जांच करके दिनांक 07.10.2014 को अपीलाण्ट के नाम से 8 बीघा के खातेदारी अधिकार जारी कर दिये। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेशों की पालना में अपीलाण्ट के नाम से जरिये इन्तकाल न. 245 दिनांक 21.10.2014 को अपीलाण्ट के नाम से स्वीकृत हुआ। इस प्रकार अपीलांट के नाम रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 में कुल 20 बीघा रकबा कम्प्यूटर से तैयार जमाबन्दी के अनुसार खसरा न. 125/91 में 2.024 है0 व 127/91 में 3.036 है0 रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ अपीलाण्ट के रकबा उतर दिशा इन्दिरा गाधी नहर व रोही रघुनाथपुरा का खसरा न. 25 व दक्षिणी दिशा में शेष रकबा राज व हेतराम नाई का कब्जा, व पूर्व दिशा में चुनी देवी पत्नी खुमगर का कब्जा काश्त, व पश्चिमी दिशा में पृथ्वीराज पुत्र श्री गोमन्दराम जाति जाट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ ने पूर्णतया एक तरफा तौर पर कार्यवाही करते हुए इस खसरे के अन्य खातेदार व टी.सी. आवंटियों को बिना सुने दिनांक 05.01.2015 को रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में एक आदेश जारी कर रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त के रकबा के नक्शा में रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम खसरा न 121/91 में तरमीम कर दिया है। मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 05.01.2015 व इन आदेशो कि पालना मे नक्शा में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नोट लगा दिया जो विधिविरूध होने से निरस्त योग्य है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज देरासरी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये।
3. सर्वप्रथम वकील रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 15.07.2020 को [illegible] प्रा[illegible]त्र अन्तर्गत धारा 79 भू–राजस्व अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। व[illegible] कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की 79 व [illegible] कोर्ट मैन्युवल [illegible]यम 30 के तहत अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित [illegible] मैन्डेट्री प्रोवि[illegible] बकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
753

Scanned by CamScanner

अपीलांट द्वारा अपील पेश करते समय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.01.2015 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में कानून की पालना नहीं की गई है, इसलिए अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है।

4. वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 79 भू-राजस्व अधिनियम का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2015 की प्रमाणित प्रति लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु मातहत न्यायालय दिनांक 26.06.2020 को बाद तलाश रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपीलांट का नकल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वकील अपीलांट द्वारा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2023 तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि अपीलांट ने पटवारी हल्का के समक्ष नकल प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना में रोही रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 91/6 में अपीलांट के कब्जा काश्त का रकबा जो रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम तरमीम कर नया खसरा न. 121/91 मैमूद कर दिया के नक्शा की प्रमाणित प्रति हेतु नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु पटवारी हल्का ने असल नक्शा ना होने की वजह से देने से मना कर दिया। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने पटवारी हल्का से दिनांक 01.04.2015 को पी-35 की कम संख्या 4135 पर दर्ज करवाकर प्राप्त किये है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने भी अपीलांट को प्रमाणित प्रति देने से मना कर दिया। इसलिए अपीलांट द्वारा फोटोकॉपी के आधार पर अपील पेश की गई है। वकील अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 1444/2017 अनवान सुभाष चन्द्र बनाम महन्त भीम भारती आदि में पारित निर्णय 01.06.2017 की फॉटोकॉपी की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय ने भी अपने उक्त निर्णय में माना है कि फॉटोकॉपी के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में फॉटोकॉपी के आधार पर ही बहस उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट के प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ ने रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से खारिज कर दिया है तथा पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का रघुनाथपुरा की दैनिक डायरी दिनांक 26.05.2020 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 के अनुसार पटवारी हल्का के पास रोही रघुनाथपुरा का लट्ठा नक्शा उपलब्ध नहीं है। जेर अपील दर्ज होने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ से जैर अपील आदेश से संबंधित अभिलेख चाहा गया था। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक दिनांक 9199 दिनांक 13.9.2022 द्वारा अवगत करवाया कि रोही रघुनाथपुरा के रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से खसरा न. 91/6 के 6.717 है0 रकबा के तरमीम संबंधी आदेश दिनांक 05.01.2015 तलाश अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह साबित है कि प्रकरण में जेर अपील आदेश की मूल प्रति उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में यह माना है कि यदि मूल अभिलेख उपलब्ध ना हो तो फॉटोकॉपी के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। हस्तगत अपील पत्रावली में भी अधीनस्थ न्यायालय के जेर अपील आदेश की फॉटोकॉपी उपलब्ध है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में हम हस्तगत प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की फॉटोकॉपी के आधार पर ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त काश्त के रकबा का रेस्पोडेंट संख्या 01 के रकबा के तरमीम के करवाने का रेस्पोडेंट को कोई हक नहीं था। अपीलांट ने अपने नाम के रोही रघुनाथपुरा के उक्त 20.00 बीघा रकबा को बंजड़ तोड़ कर काश्त योग्य बनाया है जिसमें पानी हेतु ट्यूबवैल लगा रखे है तथा रकबा के चारों ओर कंटीली तारों से तारबंदी कर रखी है। टीसी आवंटन से लेकर खातेदारी होने के उपरांत आज दिनांक तक उक्त 20.00 बीघा रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट ने पूर्णतया विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के कब्जा काश्त का रकबा अपने नाम तरमीम करवाया है जिससे अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए अपीलांट अपील पेश करने के अधिकारी है। अतः अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जावे।

7. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही वकील अपीलांट के शपथ पत्र के खण्डन में कोई प्रतिशपथ पत्र पेश किया है। रेस्पोडेंटगण द्वारा दौराने बहस भी कोई मौखिक आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

8. हस्तगत पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की जांच की गई तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित किया है। अपील अपीलांट अनुसार जैर अपील रकबा अपीलांट का खातेदारी रकबा है। जिससे अपीलांट के हित निहित है, इसलिए अपीलांट आलौच्य आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

9. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पीठ के पीछे अपीलाधीन आदेश पारित पारित किया है,जिसकी अपीलांट को कतई जानकारी नही थी। माह जून 2020 को अपीलांट अपने खातेदारी [illegible] ट्यूबवैल चला कर पानी लगा रहा था तो रेस्पोडेंट संख्या 01 अपीलांट [illegible] 2015 उक्त रकबा की तरमीम रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम हो चुकी है। इसलिए 5-7 रोज में उक्त [illegible] देवे अन्यथा जबरदस्ती इस रकबा का कब्जा प्राप्त करेगा। उसी रोज अपी[illegible]तु रिकार्ड ना मिलने के कारण अपीलांट का नकल प्रार्थना [illegible] कर दिया गया। [illegible]कल प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश की नकल प्राप्त कर बिना किसी दे[illegible]रने में सद्भाविक देरी हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जावे।

10. वकील रेस्पोडेंट ने दौराने बहस वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए निवेदन कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध लगभग 6 वर्ष पश्चात पेश की है। इतने समय पश्चात अपील पेश करने का अधिकार अपीलांट को अब नही है तथा इतने समय पश्चात पेश की गई अपील स्वीकार योग्य नही है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर जानकारी दिनांक भी अंकित नही है जिससे यह पता चले कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कब हुई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

11. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायाल के आदेश के विरूद्ध लगभग 6 वर्ष पश्चात की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में अंकित जानकारी की दिनांक को आधार मानकर मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया गय जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2020 को खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह अपील पेश की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में जानकारी की दिनांक अंकित नहीं की है परन्तु माह व सन अंकित किये है। यदि जानकारी की दिनांक 01.06.2020 भी माने तो भी यह अपील दिनांक 30.06.2020 को पेश की है जो जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12. गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहाया तथा अतिरिक्त कथन किया कि रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 (नया मीन नम्बर 128/91) में 12.00 बीघा व खसरा न. 125/91 में 8.00 बीघा कुल 20.00 बीघा रकबा अपीलांट के नाम से खातेदारी है। अपीलांट के कब्जा काश्त के रकबा में उत्तरी पासा मे नहर है व दक्षिणी पासा में रकबा राज भूमि है। पूर्वी पासा में चुन्नी देवी का रकबा है। व पश्चिमी दिशा में पृथ्वीराज पुत्र गोमन्दराम का रकबा है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने बिना कोई आधार के रिकार्ड में बिना किसी आदेश के नक्शा में अपीलांट के कब्जा काश्त वाला रकबा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से तरमीम करके खसरा न. 121/91 नक्शा में पैमूद कर दिया है। जबकि इस स्थान पर अपीलांट का टीसी आवंटन से लेकर कर के आज तक कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट सख्या 1 का खसरा न. 91/6 कि बजाय इस खसरा से चिपता खसरा न. 25 के रकबा पर कब्जा है। अपीलांट का 91/6 में कुल 20 बीघा रकबा था जिसमें से पूर्व में केवल 12 बीघा रकबा के ही पुख्ता आवंटन एवं खातेदारी अधिकार जारी हुए थे। शेष 8 बीघा रकबा के खातेदारी अधिकार रोही रघुनाथपुरा का रकबा डी कॉलोनी हो जाने के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 105/2011 अनवान पवन कुमार बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2011 में दिये गये निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 21.06.2013 को निणर्य करते हुए रिमाण्ड आदेशों की पालना में पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ को भेज दी व तहसीलदार सूरतगढ ने इस 8 बीघा के रकबा के बाबत पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से कई बार रिपोर्ट लेकर मौका पर कब्जा काश्त कि जांच करके दिनांक 07.10.2014 को अपीलाण्ट के नाम से 8 बीघा के खातेदारी अधिकार जारी कर दिये। इन आदेशों की पालना में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने खातेदारी जारी करने की रिपोर्ट के पीछे नक्शा तेयार किया है कि जिसकी फोटोप्रति अपील के साथ संलग्न है। जिससे स्वयं यह साबित है कि इस स्थान पर कब्जा अपीलांट का है। इसके अलावा अपील के साथ संलग्न दैनिक डायरी पटवारी हल्का रघुनाथपुरा माह जून 2020 में अंकित रिपोर्ट के अनुसार खसरा न. 121/91 के 5.060 है0 भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा खसरा न. 121/91 की 1.200 है0 भूमि पर ही रेस्पोडेंट संख्या 01 का काश्त है शेष भूमि पर नहीं है। इसके अलावा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 जो इस पत्रावली में उपलवध है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में चालू जमाबंदी में खसरा न. 121/91 में 6.717 है0 रकबा खातेदारी है परन्तु अपीलाधीन आदेश से राजस्व नक्शा में मूल खसरा न. 91/6 में नया खसरा 121/91 जो तरमीम किया है तथा उससे कैडस्ट्रल मैप तेयार हुआ है उस तरमीमशुदा रकबा 6.717 है0 रकबा में से रेस्पोडेंट संख्या 01 का 1.200 है0 रकबा पर कब्जा है। इस खसरा न. 121/91 के 5.060 है0 रकबा पर अपीलांट का 30 वर्षो से ज्यादा समय से कब्जा है। यह मौका निरीक्षण इस रोही के करीब 100 से ज्यादा काश्त कारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया था। परन्तु पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का ने दिनांक 05.01.2015 को राजस्व रिकार्ड में हैरफेर करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 01 से सांठगांठ करके राजस्व नक्शा में रेस्पोडेंट सख्या 01 का रकबा तरमीम कर दिया व इस रिकार्ड को भी खत्म कर दिया है। तरमीम के आदेशों की असल प्रति ना तो तहसील कार्यालय में उपलब्ध हो रही है तथा ना ही पटवारी हल्का के पास में नक्शा उपलबध हो रहा है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा गलत तरमीम के आधार पर बनाये गये रिकार्ड अनुसार ही डीआईएलआरएमपी योजना के तहत कन्डस्ट्रल मैप में खसरा न. 121/91 की तरमीम दर्ज हो गई है। जो कतई गलत व गैरकूननी है। इसी रकब[illegible]अधिकारी न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में प्रकरण संख्या 149/2011 [illegible]थ बनाम पवनकुमार जैरकार है। उस दावा के साथ प्रकरण संख्या 150/2011 अन्तर्गत धारा 212 [illegible]टीए म[illegible]खण्ड अधिकारी सूरतगढ़ ने दिनांक 18.04.2012 को निर्णय पारित करते हुए [illegible] रकबा की यथास्थिति बनाये रखे। फिर भी रेस्पोडेंटगण ने पटवारी हल्क[illegible]र हल्का से मिल[illegible]शा में हेरफेर करवाकर रिकार्ड नष्ट करवाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीका[illegible] करते हुए नक्शा में खसरा न. 121/91 के 6.717 है0 की तरमी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

13. वकील रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश की असल प्रति ही उपलब्ध नही है। असल आदेश के अभाव में अपील चलने योग्य नही है। जैर अपील रकबा पर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 का कब्जा काश्त है। तरमीम के समय अन्य काश्तकारों को सुना जाना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका पर जांच कर तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण एव पूर्णतः विधिक प्रक्रिया अपना कर ही तरमीम की गई है। ऑनलाईन नक्शा में रेस्पोडेंट संख्या 01 की तरमीम विधिसम्मत है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध नहीं है। अपीलांट को मेरे रकबा की तरमीम को निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा मात्र द्वेष की भावना से ही यह यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट पूर्णतः सारहीन है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

14. रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने अपनी बहस में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

15. हमने उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि अपीलांट द्वारा जैर अपील आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 26.06.2020 को अपीलांट का नकल प्रार्थना पत्र इस आश्य के साथ खारिज कर दिया गया कि " आदेश तरमीम दिनांक 05.01.2015 की नकल तहसील रिकार्ड में अभी तक तहसील में उपलब्ध नहीं हुई है। बाद तलाश भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। "इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज करने के पश्चात तहसीलदार सूरतगढ से जैर अपील आदेश संबंधित अभिलेख चाहा गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्रांक 4199 दिनांक 13.09.2022 द्वारा अवगत कराया कि रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 की 6.717 है0 बारानी रकबा के तरमीम संबंधी आदेश कमांक 05.01.2015 कार्यालय रिकार्ड तलाश अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। हमने हस्तगत पत्रावली में निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का रघुनाथपुरा से बारानी गांव रघुनाथपुरा का कैडस्ट्रल मैप मंगवाया गया। जिसके अवलोकन से पाया कि उक्त नक्शा में खसरा न. 121/91 अंकित है जो कि मूल खसरा न. 91/6 का भाग है। उक्त कैडस्ट्रल मैप पर खसरा न. 91/6 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन जारी होने के कारण तरमीम नहीं होने का नोट लगाया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा जैर अपील आदेश से संबंधित कोई पत्रावली मुरतीब नहीं की है तथा जैर अपील आदेश से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध ही नहीं है। तत्कालीन पटवारी हल्का व तत्कालीन गिरदावर हल्का ने ही रेस्पोडेंट संख्या 01 को लाभ देने के लिए राजस्व नक्शा में हेरफेर की है। दैनिक डायरी पटवारी हल्का रघुनाथपुरा माह जून 2020 में अंकित रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 01 मदननाथ के नाम खसरा न. 121/91 में 6.717 है0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा तहसील कार्यालय से प्राप्त कैडस्ट्रल मैप अनुसार खसरा न. 121/91 की 6.717 है भूमि की तरमीम मदननाथ के नाम से की जानी अंकित है। परन्तु मौके पर खसरा न. 121/91 की 1.200 है0 भूमि पर ही मदननाथ का कब्जा काश्त है शेष 5.060 है0 भूमि पर पवन कुमार पुत्र बलवीर का 30 वर्षो से कब्जा काश्त है। उक्त तथ्य से यह सिद्व होता है कि राजस्व कार्मियों ने रेस्पोडेंट संख्या 01 को लाभ देने के लिए अपीलांट के कब्जा काश्त के रकबा की तरमीम रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से नक्शा में दर्शा दी है। इस रोही के खसरा न. 91/6 में अनेक काश्तकारों का खातेदारी रकबा है। जैर अपील तरमीम की जाने से पूर्व पडोसी काश्तकारों को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया है व ना ही कोई सूचना दी गई है। निष्कर्षतः जैर अपील तरमीम आदेश व राजस्व नक्शा में की गई तरमीम को निरस्त करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसील सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2015 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के इन आदेशों की पालना में रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से रोही रघुनाथपुरा के खसरा न. 91/6 के नक्शा में खसरा न. 121/91 में 6.717 है0 रकबा की तरमीम निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आप स्वयं मौका कब्जा जांच कर व राजस्व रिकार्ड यथा आवंटन पत्रावली इत्यादि का मलीभांति अवलोकन करते हुउ पुनः विधि सम्मत एवं नियमानुसार तरमीम आदेश जारी कर तरमीम कार्यवाही करवाये। उभय पक्ष दिनांक 14.2.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner